

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

अनुसूचित जाति के पशुपालकों के पशुओं के अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम 2017

राज्य में पहली बार

**प्रत्येक गाँव में अनुसूचित जाति के पशुपालकों के पशुओं हेतु
अंतःकृमिनाशक दवा का मुफ्त वितरण अभियान**

12 सितम्बर, 2017 से 26 सितम्बर 2017 तक

- ❖ वितरणकर्ता द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार प्रत्येक गाँव में
अनुसूचित जाति के पशुपालकों के बड़े एवं छोटे योग्य पशुओं हेतु
अंतःकृमिनाशक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
- ❖ अंतःकृमिनाशक दवा वितरण कार्य संबंधित जनप्रतिनिधि (जिला
परिषद् सदस्य, प्रखण्ड प्रमुख, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति
के सदस्य, वार्ड सदस्य आदि) की देखरेख में किया जाएगा। किसी
भी योग्य बड़े एवं छोटे पशु हेतु अंतःकृमिनाशक दवा का वितरण
नहीं होने अथवा वितरण के दौरान राशि की मांग करने की
शिकायत पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के दूरभाष सं
0612-2230942 पर की जा सकती है।
- ❖ माननीय सांसद, विधायक एवं विधान पार्षदों से अंतःकृमिनाशक
दवा वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आग्रह है।

